<u>समाचार</u>

20 बड़े बकायादारों पर निगम ने की जप्ती फेहरिस्त की कार्यवाही

(दिया 01 सप्ताह का समय, जमा करें सम्पूर्ण बकाया राशि, अन्यथा होगी भवन दुकान की सीलिंग व कुर्की)

कोरबा 10 मार्च 2023 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बकायादारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इस कड़ी में निगम के कोरबा व टी.पी.नगर जोन के 20 बड़े बकायादारों पर जप्ती फेहरिस्त की कार्यवाही की गई तथा उन्हें 01 सप्ताह का समय देते हुए हिदायत दी गई कि वे सम्पूर्ण बकाया राशि निगम कोष में जमा कराएं अन्यथा सीलिंग व कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।

यहॉ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा को बकायादारों, करदाताओं से एक बड़ी राशि की वसूली करनी हैं, इसके साथ ही 50 हजार रूपये से अधिक की बकाया राशि के बकायादारों की संख्या भी काफी मात्रा में है, जिनसे करोड़ों रूपये की बकाया कर राशि निगम को प्राप्त करनी है। डिमांड व वारंट आदि की तामीली एवं बार–बार संपर्क करने के बावजूद इन बकायादारों द्वारा बकाया कर राशि नहीं जमा कराई जा रही है। निगम द्वारा 01 लाख रूपये से अधिक के बकायादारों के नाम भी सार्वजनिक किए गए थे, बकायादारों द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि का कुछ अंश निगम कोष में जमा कराया जाता है, तत्पश्चात शेष बकाया राशि निगम कोष में जमा नहीं कराई जा रही है, परिणाम स्वरूप निगम को आर्थिक क्षति उठाने पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर निगम प्रदत्त नागरिक सेवाओं व सुविधाओं तथा शहर के विकास कार्यो में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने समय–समय पर राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने तथा पुराने बकाए की सम्पूर्ण राशि निगम कोष में बकायादारों से जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निगम का राजस्व अमला एक ओर जहॉ वर्तमान करों की वसूली कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बकाया करों की राशि जमा कराने हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में निगम के कोरबा व टी.पी.नगर जोन में 20 बड़े बकायादारों पर कार्यवाही करते हुए जप्ती फेहरिस्त की कार्यवाही की गई है। उन्होने एक सप्ताह का समय देते हुए निगम के राजस्व अधिकारियों ने इन बकायादारों को हिदायत दी है कि वे सम्पूर्ण बकाया कर राशि निगम कोष में जमा कराएं अन्यथा सीलिंग व कुर्की की कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

शीघ्र जमा करें बकाया राशि, असुविधा से बचें – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के करदाताओं विशेषकर बड़े बकायादारों से पुनः कहा है कि वे निगम को देय वर्तमान वर्ष की कर राशि एवं विगत वर्ष की बकाया राशि का भुगतान निगम कोष में जल्द से जल्द कर दें तथा कर जमा न करने पर निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें। उन्होने कहा है कि निगम को करों के माध्यम से प्राप्त राशि के द्वारा ही विभिन्न नगर पालिक सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा नगर विकास के कार्य किए जाते हैं, समय पर करों का भुगतान न किए जाने से एक ओर जहॉ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता व नगर विकास के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर निगम को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है, अतः समय पर करों का भुगतान करें तथा नगर विकास में सहयोग दें।